



2026:AHC:67809

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या- 6506 वर्ष 2026

सरिता देवी आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: अखिलेश कुमार यादव

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं - 69

माननीय न्यायमूर्ति श्री जितेंद्र कुमार सिन्हा

1. आवेदक के अधिवक्ता श्री अखिलेश कुमार यादव, राज्य के लिए अपर शासकीय अधिवक्ता श्री बी.पी. मौर्य को सुना और अभिलेखों का अवलोकन किया।
2. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के तहत प्रस्तुत ज़मानत याचिका, आवेदक की ओर से दायर की गई है, जिसमें उसे एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 8/20/27(ए)/29/60 के तहत ज़मानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है।
3. आवेदक के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि आवेदक को प्रस्तुत मामले में झूठा फंसाया गया है। वह आगे प्रस्तुत करता है कि आवेदक के कब्जे से कुछ भी बरामद नहीं किया गया है, उसका नाम गिरफ्तार सह-अभियुक्त, शुभम उर्फ श्यामू ठाकुर और राजू कुमार कुशवाहा के इकबालिया बयान में सामने आया है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदक 2.1.2026 से जेल में बंद है और वह वाहन के मालिक हंसलाल कुशवाहा की पत्नी है। आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह मुकदमे के दौरान सहयोग करने और जांच एजेंसी या अदालत द्वारा आवश्यक होने पर पेश होने का वचन देती है और यदि उसे ज़मानत दी जाती है, तो वह ज़मानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगी और ज़मानत की सभी शर्तों का पालन करेगी।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. दूसरी ओर, अपर शासकीय अधिवक्ता ने ज़मानत देने के लिए प्रार्थना का विरोध किया।

5. प्राथमिकी में लगाए गए आरोपों के अनुसार, आवेदक का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं बताया गया है। आवेदक का नाम केवल सह-आरोपी व्यक्तियों, शुभम @ श्याम ठाकुर और राजू कुमार कुशवाहा के कथित इकबालिया बयानों के आधार पर सामने आया है, जिन्हें उस वाहन के साथ पकड़ा गया था जिसमें 82.8 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया था। आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि आवेदक हंसलाल कुशवाहा की पत्नी है, जो उक्त वाहन का पंजीकृत मालिक है। आवेदक को कथित अपराध से जोड़ने के लिए अभिलेखों पर कोई स्वतंत्र या ठोस सबूत नहीं है, सिवाय सह-आरोपी व्यक्तियों के इकबालिया बयानों के, जिनका कानून की नजर में कोई साक्ष्य मूल्य नहीं है।

6. तथ्यों, प्रकृति और अभिलेखों से परिलक्षित साक्ष्यों की समग्रता पर विचार करने पर और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मुझे लगता है कि यह ज़मानत के लिए एक उपयुक्त मामला है। इसलिए, प्रस्तुत ज़मानत आवेदन की अनुमति दी जाती है।

7. उपरोक्त मामले के अपराध में शामिल आवेदक- सरिता देवी को निम्नलिखित शर्तों के साथ संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए समान राशि में दो-दो ज़मानतदार के साथ 50,000/- रुपये का व्यक्तिगत मुचलका प्रस्तुत करने पर ज़मानत पर रिहा किया जाए:

-

(i) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे अदालत या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने से रोका जा सके।

(ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/डराएगा।

(iii) आवेदक (i) मामले को खोलने, (ii) आरोप तय करने और (iii) बी.एन.एस.एस. की धारा 351 के तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित



तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा।

(iv) आवेदक इस आशय का एक वचन पत्र दायर करेगा कि जब गवाह विचारण न्यायालय में उपस्थित हों तो वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथियों पर किसी स्थगन की मांग नहीं करेगा।

(v) आवेदक व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से निर्धारित प्रत्येक तारीख पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।

8. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन के मामले में, यह ज़मानत रद्द करने का आधार होगा।

9. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात इस ज़मानत आवेदन के निर्धारण के उद्देश्य तक सीमित है और इसे किसी भी तरह से मामले के गुण-दोष पर अभिव्यक्ति के रूप में नहीं माना जाएगा। विचारण न्यायालय इस आदेश में कही गई किसी भी बात से अप्रभावित साक्ष्य के आधार पर अपने स्वतंत्र निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होगा।

मार्च 31, 2026

किलोजूल

(न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा)